

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छ.ग.

Phone No. 0771-2418990

E-Mail ID-dhscggazted@gmail.com

क्रमांक एफ : 1-48/2016/विज्ञप्त/1227

नया रायपुर, दिनांक : 27/07/2018

::-आदेश-::

पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/छात्र/चिकि./2018/7361, दिनांक 02.07.2018, पत्र क्रमांक 6972, दिनांक 21.06.2018 एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर के क्रमांक/8451/छात्र/संचिशि/18, रायपुर, दिनांक 13.07.2018 से प्राप्त सूची अनुसार मई 2018 में पीजी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/चिकित्सकों को छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम के प्रावधान के अनुक्रम में उनके द्वारा पीजी प्रवेश के समय निष्पादित अनुबंध अनुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित पदस्थापना स्थल पर 02 वर्ष हेतु संविदा आधार पर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है :-


स. क्र.	छात्र/ चिकित्सक का नाम	विषय	पूर्ण पता	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5
1	आकांक्षा बिजौरा	Diploma Child Health/ Paediatrics	स्ट्रीट-76, जोन-2, न्यू आदर्श नगर, डोमिनोज, दुर्ग	जिला चिकित्सालय गरियाबंद
2	राजेश बंजारे	Diploma Child Health/ Paediatrics	हाउसिंग बोर्ड कालोनी, शंकर नगर सरहद, म.न.08, ब्लॉक 01, रायपुर	जिला चिकित्सालय कोण्डागांव
3	प्रियंका जांगडे	Diploma in Gynae & Obst (DGO)	वार्ड नं.-17, चंदनिया पारा, जांजगीर, छ.ग.	जिला चिकित्सालय मुंगेली
4	आकाश पांडा	Diploma in Orthopaedics	बैकुण्ठपुर, पुराना बस डिपो के पास, रामभनथा रोड, रायगढ़	जिला चिकित्सालय गरियाबंद
5	चन्द्र प्रकाश साव	Diploma in Orthopaedics	म.न.3, ब्लॉक 4 पं.दीनदयाल पुरम, न्यू खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग	जिला चिकित्सालय मुंगेली
6	सौरभ वर्मा	Diploma in Orthopaedics	नया गंज रोड, भाटापारा	जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार
7	सिद्धार्थ भारद्वाज	Diploma in Orthopaedics	म.नं. सी-9, रिषभ साउथ सिटी, पोटियाकला दुर्ग	जिला चिकित्सालय धमतरी

8	रुद्रमणी खेस	Diploma Ophthalmology	सी/ओ शशिकिरण खेस, वार्ड क्र.10, जेल पारा, पो. सूरजपुर, जिला सूरजपुर	जिला चिकित्सालय गरियाबंद
9	हेमेन्द्र कुमार	MD Anaesthesiology	द्वारा-श्री राजेन्द्र साहू, मधु कार्निका, त्रिलोचन बाल मंदिर के पास, केलाबाड़ी, दुर्ग	जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार
10	उज्ज्वल दिल्लीवार	MD General Medicine	एचआईजी 01/160, न्यू बोरसी एक्स, दुर्ग	जिला चिकित्सालय कांकेर
11	सुरजीत मंडल	MD General Medicine	ईडब्ल्यूएस-492, वैशालीनगर, भिलाई जिला दुर्ग	जिला चिकित्सालय बेमेतरा
12	हर्षलता साहू	MD General Medicine	एमआईजी-44, पदमनाभपुर, दुर्ग	जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा
13	पारूल जैन	MD Obst.& Gynae	रूप हंसा जोन-2, स्ट्रीट-5बी, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग	जिला चिकित्सालय गरियाबंद
14	गिरिश सुमन	MD Pathology	5सी/स्ट्रीट 10, सेक्टर-4, भिलाई, जिला दुर्ग	जिला चिकित्सालय बीजापुर
15	कविता वर्मा	MD Radiodiagnosis	डी-104, सेक्टर-1, देवेन्द्र नगर, रायपुर	जिला चिकित्सालय धमतरी
16	महिमा सेठी	MD Radiodiagnosis	पुराना सी-II, शिक्षक कॉलोनी, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर	जिला चिकित्सालय मुंगेली
17	श्रेयस जायसवाल	MD Radiodiagnosis	द्वारा- बलौदाबाजार इलेक्ट्रिकल्स, सरदार रोड बलौदाबाजार	जिला चिकित्सालय गरियाबंद
18	निकिता श्रीवास्तव	MS General Surgery	8- आजाद नगर, सुभाष साँ मिल के पास बिलासपुर	जिला चिकित्सालय महासमुंद
19	प्रतीक बारले	MS General Surgery	ग्राम पौसरी, पो. सिमगा, जिला बलौदाबाजार	जिला चिकित्सालय सुकमा
20	प्रीति उपाध्याय	MS General Surgery	जोरा पारा, गली न.-5, सीपत रोड सरकंडा, बिलासपुर	जिला चिकित्सालय बस्तर
21	रेखराज साहू	MS General Surgery	म.न.-08, प्राथमिक शाला के बाजू आंगन वाड़ी 02 के पास, वार्ड-17, कादंबरी नगर, दुर्ग	जिला चिकित्सालय बलरामपुर
22	प्रियंका गुप्ता	MS Ophthalmology	वार्ड-13 अंबिकापुर रोड, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर	जिला चिकित्सालय बलरामपुर
23	मंजुषा चंद्रसेन	MS Ophthalmology	डी-56, सिमरन सिटी, मठपुरैना, संतोषी नगर, रायपुर	जिला चिकित्सालय महासमुंद

संविदा नियुक्ति की शर्तें :-

1. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी।

2. छ.ग. शासन के संविदा भर्ती नियम (छ.ग. सिविल सेवा) संविदा नियुक्ति नियम 2012 के अंतर्गत नियुक्ति किया जावेगा।
3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका-15 की (अन्य शर्तें) लागू होगी।
4. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
5. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 201/एफ 2017-17-01012/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के अनुसार चिकित्सा अधिकारी (पोस्टग्रेज्यूवेट पी.जी. डिग्री-डिप्लोमा योग्यता धारी) हेतु सामान्य क्षेत्र अन्तर्गत रुपये 55,000/- अनुसूचित क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं में रुपये 60,000/- देय होगी।
6. कर (टी.डी.एस.) की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
8. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
9. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्त अधिकारियों को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना-जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर आवश्यक उचित कार्यवाही की जावेगी।
10. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष जिला नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा, इसका प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
11. उपस्थिति के 15 दिवस के अंदर जिले के मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. पदस्थापना आदेश जारी उपरांत अपनी पदांकन स्थल में आदेश दिनांक से 15 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
13. संबंधित छात्र/चिकित्सकों द्वारा निर्धारित समय सीमा में पदांकित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अनुपस्थित रहने पर एवं 02 वर्ष की कार्यावधि पूर्ण न करने की स्थिति में उनके द्वारा निष्पादित अनुबंध की राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया राशि की भौति वसूली योग्य होगी। साथ ही मेडिकल कौंसिल छत्तीसगढ़ से पीजी एवं एमबीबीएस योग्यता की पंजीयन रद्द करने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।


 संचालक
 स्वास्थ्य सेवायें
 छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़।
4. रजिस्ट्रार, छ.ग. मेडिकल कौंसिल, रायपुर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़।
6. कलेक्टर, जिला छत्तीसगढ़।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छत्तीसगढ़।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक छत्तीसगढ़।
9. कोषालय अधिकारी छत्तीसगढ़।
10. संबंधित डॉ संविदा चिकित्सक.....
..... की ओर पालनार्थ।
11. आदेश फाईल।

२५

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़